मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/ एफ 3-13/09/50-2 भोपाल दिनांक 23/05/2009

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला समस्त म.प्र.
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी/
   जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
   महिला एवं बाल विकास विभाग
   जिला - समस्त (म.प्र.)

विषय- टेक होम राशन प्रक्रिया के तहत पूरक पोषण आहार का प्रदाय ।

भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 24 फरवरी 2009 में 06 माह से 03 वर्ष तक के समस्त बच्चो तथा गर्भवती/धात्री माताओं को अनिवार्य रूप से टेक होम राशन देने का प्रावधान किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2009 में भारत सरकार के उक्त निर्देश का पालन करने के आदेश दिये गये है। अतः भारत सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार 03 से 06 वर्ष तक के बच्चो को आंगनवाड़ी केन्द्र पर ही ताजा पका हुआ गरम खाना दिया जाना है। शासन स्तर से इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे है।

भारत सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज 03 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती/धात्री माताओं को टेकहोम राशन का वितरण किया जाए। विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये जिलों के भ्रमण के दौरान पाया गया है कि कुछ जगह 06 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं माताओं को टेक होम राशन के रूप में खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है एवं एम.पी.एग्रो से प्रदाय किय जा रहे खाद्यान्न का उपयोग टेक होम राशन के रूप में करने के स्थान पर आंगनवाड़ी केन्द्र पर ही वितरण किया जा रहा है। उक्त स्थिति उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि साप्ताहिक आवश्यकता के मान से 06 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री माताओं को एम.पी.एग्रो द्वारा प्रदाय किया जा रहे खाद्यान्न का वितरण प्रति मंगलबार (मंगल दिवस) टेकहोम राशन के रूप किया जाए। उक्त वर्ग के हितग्राहियों के लिये मंगलवार को छोड़कर शेष किसी भी दिन आँगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार का वितरण नहीं किया जाए।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

(धनश्याम सहारे)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ.क./ एफ - 3-13/09/50-2 भोपाल, दिनाँक 23/5/2009

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. संभागीय आयुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ
3. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास समस्त संभाग म.प्र.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त म.प्र.
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग